8. संस्था / पाठ्यक्रम का आवंटन

किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सीट मैट्रिक्स के आधार पर सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा दिये गये विकल्प में सीट आवंटित की जा सकती है? यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयताक्रम में चिन्हित अगले विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यही कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जब तक उसके द्वारा दिये गये समस्त विकल्प समाप्त न हो जायें अथवा उसे कोई आवंटन प्राप्त न हो जाये। तत्पश्चात अगले वरीयताक्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा, जब तक कि समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची / सीटें समाप्त न हो जाये।

9. काउन्सिलिंग एवं चरणों की प्रक्रिया

(i) काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था / पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा।

(ii) काउन्सिलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे। काउन्सिलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर निम्नांकित दो भागों में विभक्त किया गया।

A. मुख्य काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी हैं, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें),

B. विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित उक्त बिन्दु पर वर्णित अभ्यर्थियों के साथ–साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)

मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी।

(iii) काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा–संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन,

आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से विद्ड्राल, संस्था में प्रवेशित छात्र / छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(a) अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू0 3000 / – एवं रू0 250 / – काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात् कुल रू0 3250 / – आनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के

अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।

(b) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर सीट एक्सेपटेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/– पोर्टल पर जमा करना होगा, तद्पोरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार जमा करना होगा।

(c) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे।

(iv) अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट विदड्राल की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी है, परन्तु उस चरण की निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा यह सीट अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरण में प्रतिभाग करने हेतु अनर्ह होगा। तदनुसार विद्ड्राल विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा।

(v) आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण में प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात दो दिन के अन्दर सीट एक्सेप्टेंस फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट विदड्राल के विकल्प का चयन काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राप्त होगी।

(vi) राजकीय, अनुदानित तथा पी0पी0पी0 क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण सम्बन्धी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थावार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

(vii) अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक प्रवेश पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंकपत्र, जाति, आय, निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना

होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात् संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही की जायेगी।

(viii) प्रवेश काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिपोर्टिंग, काउन्सिलिंग–कार्यक्रम में निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अंतिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

(ix) प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी0/फार्मेसी एवं अन्य पाठयक्रमों में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।

10. प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का संरक्षण

प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात अन्तिम रूप से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची सुरक्षित रखी जायेगी। यह डेटा काउन्सिलिंग पोर्टल पर भी संरक्षित रखा जायेगा।

11. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, द्वारा आयोजित ''संयुक्त प्रवेश परीक्षा'' में सम्मिलित होने/काउन्सिलिंग में भाग लेने से अभ्यर्थी एवं संस्था उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगे, जो इस शासनादेश के विभिन्न प्रस्तर/बिन्दुओं में अंकित है या जिन्हें समय–समय पर परिषद या राज्य सरकार द्वारा निर्गत/लागू किया जाता है।

12. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र :

आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने हेतु प्रमाण–पत्र संख्या–1 से 8A एवं 8B पर दर्शाये गये प्रमाण–पत्रों को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम् प्रारूप पर काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन–पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे, वे उस वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह **आवेदन–पत्र भरते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें,** जब वे वाँछित प्रमाण–पत्र रखते हों एवं काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत कर सकें।